दूरभाष : 0141-2989581, फैक्स : 0141-2226134
E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in

चिंता से मुक्ति
आईपी-वीआईपी

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

''पंचदीप भवन'', भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001

नियोजक अंशदान अब 4.75% के स्थान पर 3.25% व कर्मचारी अंशदान 1.75% से घटकर 0.75% हुआ।

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
5, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, आर.के.प्लाजा, उदयपुर-313001
दूरभाषः 0294-2418806, फैक्स : 0294-2419907
ई-मेल : sro-udaipur@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
1/3, 1/4, पाल लिंक रोड, जोधपुर-342008
दूरभाषः 0291-2750003, फैक्स : 0291-2750005
ई-मेल : sro-jodhpur@esic.nic.in

ईएसआई कोविड-19 राहत योजना का लाभ लें - लाभार्थी कृपया ध्यान दें।

1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारी की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु हो तो उसे औसत वेतन की **90%** राशि का भुगतान प्रत्येक माह उसके पात्र आश्रित परिजनों के बीच वितरित किया जाएगा। भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

2. मृतक कर्मचारी को कोविड-19 रोग निदान की तारीख से कम से कम 3 माह पहले एसिक ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। बीमित, निदान की तारीख को रोजगार में हो और इससे पूर्व अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना/देय होना चाहिए।

3. दावे के लिए मृतक कर्मचारी की पॉजिटिव रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम् 15 दिन के भीतर दावे का निपटान पाएँ।

4 (क) मृतक श्रमिक का पति/पत्नी प्रति वर्ष रु. 120/- के योगदान पर चिकित्सा देखरेख प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) यह योजना कोविड-19 बीमारी से ठीक होने के बाद 30 दिनों के भीतर कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को भी कवर करेगी।

अन्य हितलाभ

- रु. 15000/- अंतिम संस्कार राशि का भुगतान परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य या जिसने वास्तव में संस्कार किया हो, को मिलेगा। दावे का निपटान 7 दिन के भीतर हो सकेगा।
- चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त होने से कार्य से अनुपस्थित होने पर वेतन के नुकसान की क्षतिपूर्ति औसत दैनिक मजदूरी के **70%** की दैनिक दर पर 1 वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए बीमारी हितलाभ के रूप में लिया जा सकेगा।
- बीमारी हितलाभ लेने के लिए कर्मचारी के संबंध में संदर्भित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिवस के अंशदान का भुगतान जमा होना / देय होना चाहिए। चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी चिकित्सा / फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ दावा नामित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर 7 दिन में निपटान पाएँ।
- लोक शिकायत निवारण अधिकारी के विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट **www.esic.nic.in** पर उपलब्ध हैं। 15 दिन के भीतर निपटान पाएँ।

दूरभाष : 0141-2989581, फैक्स : 0141-2226134
E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

''पंचदीप भवन'', भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001

चिंता से मुक्ति
आईपी-वीआईपी

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
5, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, आर.के.प्लाजा, उदयपुर-313001
दूरभाषः 0294-2418806, फैक्स : 0294-2419907
ई-मेल : sro-udaipur@esic.nic.in

नियोजक अंशदान अब 4.75% के स्थान पर 3.25% व कर्मचारी अंशदान 1.75% से घटकर 0.75% हुआ।

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
1/3, 1/4, पाल लिंक रोड, जोधपुर-342008
दूरभाषः 0291-2750003, फैक्स : 0291-2750005
ई-मेल : sro-jodhpur@esic.nic.in

ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

1. In the event of unfortunate death of a worker covered under ESI Act 1948, due to Covid19, 90% of average wage of deceased worker will be distributed amongst eligible dependent family member every month and will be paid directly in their bank account.
2. The worker who died due to Covid-19 must have been registered on ESIC online portal atleast 3 months prior to date of diagnosis of Covid-19 disease, must be in employment on the date of diagnosis and atleast 70 days' contribution should have been paid or payable for him during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of Covid-19 disease.
3. The Claim for relief with Covid-I9 positive report and death of worker can be applied to Branch Manager of any nearest ESIC Branch Office. The Claim will be settled in 15 days from the date of submission of completed claim.

4(a) Spouse of deceased worker is also eligible for Medical Care of Rs 120/- per year.

(b) Scheme also covers Covid- 19 related deaths occurring within 30 days after recovery from Covid-19

OTHER BENEFITS

- In the event of unfortunate death of I worker covered under ESI Act, 1948 sum of Rs. 15000/- is paid either to eldest surviving member or to whom, who actually performs the last rite of Insured Person. Deceased worker should be an Insured Person on the date of death. Claim can be submitted in nearest ESIC Branch Office and will be settled in 7 days.
- Sickness Benefit under ESI Act, 1948 at daily rate of 70% of average daily wage may be availed by a worker covered under ESI Act 1948 to compensate the loss of wage for period he/she remains absent from work due to sickness, certified by Medical Practitioner. Maximum duration of Sickness Benefit is 91 days in one year.
- For availing Sickness Benefit Contribution in respect of worker, he should have been paid or payable a maximum of 78 days in corresponding half yearly contribution period. Claim for Sickness Benefit along with Medical/Fitness Certificate issued by Medical Practitioner to be submitted in his designated ESIC Branch Office. Claim will be settled in 7 days.
- Details of Public Grievance Redressal Officer of each state are available at the official website www.esic.in . Grievances will be addressed within 15 days.